R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part IInd
Paper 1st
Family Law (Muslim Law)

अभिस्वीकृति (इकरार)
Acknowledgment

मुस्लिम विधि में दत्तक-ग्रहण हो ही नहीं सकता। किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण किये जाने पर भी दत्तक ग्रहण का कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। परिणामस्वरूप न तो गोद लिया गया शिशु गोद लेने वाले की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकेगा और नहीं गोद लेने वाला व्यक्ति दत्तक शिशु का उत्तराधिकारी बनेगा। वर्तमान मुस्लिम विधि में किसी व्यक्ति को औरसता स्थापित करने की छूट दी जा सकती है किन्तु औरसीकरण करने की नहीं। मुस्लिम विधिशास्त्र केवल दो प्रकार से शिशु की धर्मजता स्वीकार करता है। ये दो प्रकार हैं पितृत्व और अभिस्वीकृति। हिदाया में वर्णित है कि -

यदि कोई पुरुष किसी ऐसे बच्चे का, जो अपने बारे में कुछ बता सके, पिता होना यह कहते हुए, 'यह मेरा पुत्र है' अभिस्वीकार करे, और पक्षकारों की आयु ऐसी हो जिससे एक दूसरे को पिता माना जा सके, और बच्चे का पिता किसी दूसरे को न समझा जाता हो और बच्चा स्वयं

ANKIT
Page No.
Date

अभिस्वीकृति को सही माने तो अभिस्वीकृति करने वाले से उसका पितृत्व स्थापित हो जाता है, क्योंकि पितृत्व का मामला ऐसा है जो केवल अभिस्वीकृति कर्ता को ही प्रभावित करता है, किसी और व्यक्ति को नहीं।"

हिदाया के उपर्युक्त प्रतिपादन से किसी अभिस्वीकृति के मान्य होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है:-

(1) बच्चे का पिता अभिस्वीकृतिकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को न समझा जाता हो।

(2) निश्चयात्मक तौर पर यह न सिद्ध हो सके कि जिस बच्चे की अभिस्वीकृति किया जा रहा है वह जिना का परिणाम है।

(3) पक्षकारों की आयु ऐसी होनी चाहिए कि उनका पिता शिशु होना संभव हो सके, और

(4) शिशु के लिए, यदि वह वयस्क हो तो, यह आवश्यक है कि वह अभिस्वीकृति को सही माने या उसकी पुष्टि करे।

उपरोक्त शर्तों की व्याख्या निम्न है;-

(1) पितृत्व अज्ञात हो:- जब किसी बच्चे के व्यभिचार होने का कोई प्रमाण न हो, और बच्चे का पितृत्व अज्ञात इस अर्थ में हो कि कोई पुरुष विशेष उसका पिता न समझा जाता हो तो दूसरे पुरुष द्वारा उस बच्चे की अभिस्वीकृति इस बात की निश्चायक उपधारणा प्रदान करती है कि बच्चा उस पुरुष की वैध सन्तान है और वह बच्चा वैध संतान की कोटि में स्थान पा लेता है। यदि बच्चे का

पितृत्व निश्चित हो, जैसा कि हिन्दू विधि के दत्तक ग्रहण के मामले में रहता है, तो यह अभिस्वीकृति शून्य होगी। अभिस्वीकृति का सिद्धांत पितृत्व की अनिश्चितता के मामलों में ही लागू होता है और वहीं यह प्रभावी होता है, अन्यत्र नहीं।

(2) किसी का अधर्मज शिशु न हो :-

धर्मज होने और धर्मज बनाने में अंतर है। धर्मज होना एक ऐसी हैसियत है जो कुछ तथ्यों का परिणाम है, किन्तु 'धर्मज बनाना' एक कार्यवाही है जो ऐसी हैसियत का निर्माण करती है जो इसके पूर्व थी ही नहीं। हिन्दू विधि का दत्तक ग्रहण धर्मज बनाने की ऐसी ही एक कार्यवाही है। मुस्लिम विधि में अभिस्वीकृति धर्मजता की घोषणा है न कि "धर्मज बनाने" की। जो शिशु अवैध है उसे अभिस्वीकृति द्वारा धर्मज नहीं बनाया जा सकता है।

(3) परिस्थितियाँ उपधारणा के प्रतिकूल न।

जब बच्चा माँ के गर्भ में आया उस समय बच्चे की माँ के पति बनने की क्षमता अभिस्वीकृति करने वाले पुरुष में अवश्य होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा बच्चे की माँ से "सामान्य विवाह" की कसौटी को अपनाया गया है, ऐसा निर्णीत हो चुका है कि जहाँ बच्चे की माँ अभिस्वीकृति करने वाले पुरुष की पत्नी की बहन है, या जहाँ उसके दूसरा पति है तो ऐसे बच्चे की अभिस्वीकृति नहीं की जा सकती है। अतः कोई पुरुष अपनी बहन के पुत्र को अपना पुत्र अभिस्वीकार

नहीं कर सकता।

(4) शिशु अवश्य पुष्टि करे :-

शिशु की अभिस्वीकृति के पश्चात अभिस्वीकृति कर्ता द्वारा उसे निरवखिन्ड या अभिस्वीकृति को रद्द नहीं किया जा सकता है। किंतु जिस व्यक्ति की अभिस्वीकृति की जाय वह शिशु अभिस्वीकृति का निराकरण कर सकता है। अतएव अभिस्वीकृति के मान्य होने की यह भी शर्त है कि शिशु इस अभिस्वीकृति से अपनी सहमति प्रकट करे, चाहे इसकी पुष्टि करके या खामोशी अख्तियार करके। यदि वह जानते बिलग में कुछ लिखित नहीं करवाता है तो यह अभिस्वीकृति उसके सहमति बिना प्रभावी हो जायेगी।

अभिस्वीकृति व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों हो सकती है:-

किसी शिशु की अभिस्वीकृति व्यक्त हो सकती है और अव्यक्त भी। जब स्पष्ट शब्दों से व्यक्त न होकर आचरण से प्रकट हो तो उसे अव्यक्त अभिस्वीकृति कहा जायेगा। जहाँ कोई पुरुष एक अन्य लड़के को खुले आम अपना पुत्र मानता है तो वह माना जायेगा कि पुरुष ने शिशु का पिता माना जाना अभिस्वीकार किया है। किंतु पितृत्व की आकस्मिक अभिस्वीकृति जिसका आशय अभिज शिशु होना न हो, किसी व्यक्ति की धर्मज सन्तान की हैसियत में नहीं रखेगा। अतएव आकस्मिक अभिस्वीकृति के मामले में यह आवश्यक है कि वैध शिशु की हैसियत देने का इरादा अवश्य रहा हो।